न्यायालय, कलेक्टर उत्तर बस्तर कांकेर (छत्तीसगढ़)

पीठासीन अधिकारी निलेशकुमार महादेव क्षीरसागर
रा.प्र.क्र. 202401140100028 / अ–20(3) / 2023–24

वनमण्डलाधिकारी
पूर्व भानुप्रतापपुर
वनमण्डल भानुप्रतापपुर
आवेदक

विरूद्ध

छत्तीसगढ़ शासन

आदेश

(दिनांक 10 / 07 / 2024)

वनमण्डलाधिकारी पूर्व भानुप्रतापपुर वनमण्डल भानुप्रतापपुर के पत्र क्रमांक / मा.चि. / 2024 / 284 भानुप्रतापपुर, दिनांक 16.01.2024 के अनुसार विकासखण्ड कांकेर के ग्राम अंजनी में रकबा 6.660 हेक्टेयर, विकासखण्ड नरहरपुर के ग्राम सुरही में रकबा 6.500 हेक्टेयर तथा विकासखण्ड दुर्गूकोन्दल के ग्राम भण्डारडिगी में रकबा 4.830 हेक्टेयर कुल रकवा 17.990 हेक्टेयर में एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय भवनों के निर्माण हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत वनभूमि व्यपवर्तन प्रस्ताव में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु तहसील दुर्गूकोन्दल के ग्राम हिलचुर में स्थित शासकीय भूमि खसरा नंबर 66, 109, 68 एवं 132 रकबा क्रमशः 34.380, 14.810, 5.200 एवं 1.43 हेक्टेयर कुल रकबा 55.82 में से 17.990 हेक्टेयर भूमि वैकल्पिक वृक्षारोपण के लिए वन विभाग के पक्ष में हस्तांतरण करने मांग किये जाने पर प्रकरण पंजीबद्ध कर प्रकरण में तहसीलदार दुर्गूकोन्दल से जांच प्रतिवेदन अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) भानुप्रतापपुर के माध्यम से प्राप्त किया गया है ।

2 प्रकरण में तहसीलदार दुर्गूकोन्दल ने आवेदित भूमि वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु वनमण्डलाधिकारी पूर्व भानुप्रतापपुर वनमण्डल भानुप्रतापपुर को हस्तांतरण करने के संबंध में दैनिक समाचार पत्र हरिभूमि एवं प्रातः इंडिया में दिनांक 21.01.2024 को ईश्तहार का प्रकाशन कराया है, प्रकाशन उपरांत समयावधि के पूर्व दिनांक 29.01.2024 को समस्त ग्रामवासी ग्राम हिलचुर के द्वारा आपत्ति प्रस्तुत किया गया है, जिसके अनुसार भूमि चरागन मद में दर्ज है, तथा चट्टान एवं पथरिला होने के कारण वृक्षारोपण हेतु अनुपयुक्त है। चूंकि पटवारी प्रतिवेदन अनुसार ग्राम में चारागाह हेतु अन्य अतिरिक्त भूमि शेष है। अतः आपत्ति वैध नहीं होने के कारण खारिज किया गया है। प्रकरण में ग्राम पंचायत दमकसा के आश्रित ग्राम हिलचुर में स्थित भूमि खसरा नंबर 66, 109, 68 एवं 132 रकबा

न्यायालय कलेक्टर उत्तर बस्तर कांकेर (छ.ग.)

D:/Str/Reader/Land Allotment.Doc

क्रमशः 34.380, 14.810, 5.200 एवं 1.43 हेक्टेयर कुल रकबा 55.82 हेक्टेयर में से रकबा क्रमशः 12.15, 2.00, 2.41 एवं 1.43 हेक्टेयर कुल रकबा 17.990 हेक्टेयर शासकीय भूमि को वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग को आबंटित करने के संबंध में कार्यालयीन पत्र क्रमांक/89/तह./वाचक/2024 दुर्गूकोन्दल, दिनांक 17.01.2024 के अनुसार विभिन्न विभागों को पत्र लेख कर आवेदित शासकीय भूमि को आबंटन किये जाने के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र अथवा आपत्ति यदि कोई हो तो अभिमत सहित आहूत किया गया। तत्संबंध में समस्त विभागों खनिज अधिकारी कांकेर, सहायक संचालक नगर तथा ग्राम निवेश कांकेर, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत दुर्गूकोन्दल, अनुविभागीय अधिकारी लोक निर्माण विभाग (भ/स) भानुप्रतापपुर, अनुविभागीय अधिकारी जल संशाधन विभाग भानुप्रतापपुर, अनुविभागीय अधिकारी लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी सेंवाऐं भानुप्रतापपुर, अनुविभागीय अधिकारी ग्रामीण यांत्रिकी सेवा दुर्गूकोन्दल, अनुविभागीय अधिकारी पी.एम.जी.एस. वाई. दुर्गूकोन्दल, खण्ड शिक्षा अधिकारी दुर्गूकोन्दल, खण्ड चिकित्सा अधिकारी दुर्गूकोन्दल एवं परियोजना अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग दुर्गूकोन्दल, सरपंच ग्राम पंचायत दमकसा से अभिमत मांगे जाने पर सभी विभागों ने उक्त आवेदित भूमि को वैकल्पिक वृक्षारोपरण हेतु वन विभाग को आबंटित करने में अपना सहमति लेखकर उपलब्ध कराया है। प्रकरण में हल्का पटवारी से प्रतिवेदन मय पंचनामा प्राप्त किया गया है, जिसके अनुसार वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित भूमि खसरा नंबर 66, 109, 68 एवं 132 रकबा क्रमशः 34.380, 14.810, 5.200 एवं 1.43 हेक्टेयर कुल रकबा 55.82 हेक्टेयर में से रकबा 12.15, 2.00, 2.41 एवं 1.43 हेक्टेयर कुल रकबा 17.99 हेक्टेयर शासकीय चरागन मद की भूमि है। ग्राम हिलचुर की कुल कृषि भूमि का रकबा 66.35 हैक्टेयर है, ग्राम का कुल चरागन भूमि का रकबा 106.59 हेक्टेयर है। कुल कृषि भूमि का 02 प्रतिशत रकबा 1.32 हेक्टेयर है, भूमि हस्तांतरण के बाद शेष चरागन भूमि का रकबा 88.60 होगा। उक्त वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित भूमि में कोई अतिक्रमण नहीं है। प्रकरण में ग्राम पंचायत दमकसा द्वारा ग्राम सभा प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है, कि एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों के भवन निर्माण हेतु विकासखण्ड नरहरपुर के ग्राम अंजनी में रकबा 6.660 हेक्टेयर, ग्राम सुरही में रकबा 6.500 हेक्टेयर एवं विकासखण्ड दुर्गूकोन्दल के ग्राम भण्डारडिगी में रकबा 4.830 हेक्टेयर कुल रकबा 17.990 हेक्टेयर क्षेत्र में एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय भवन निर्माण के लिए वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत वनभूमि व्यपवर्तन प्रस्ताव में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु तहसील दुर्गूकोन्दल के ग्राम हिलचुर में स्थित भूमि खसरा नंबर 66, 109, 68

न्यायालय कलेक्टर उत्तर बस्तर कांकेर (छ.ग.)

..2..

एवं 132 रकबा क्रमशः 34.380, 14.810, 5.200एवं 1.43 हेक्टेयर कुल 55.82 हेक्टेयर में से रकबा क्रमशः 12.15, 2.00, 2.41 एवं 1.43 हेक्टेयर कुल रकबा 17.99 हेक्टेयर भूमि वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग को हस्तांतरण करने में कोई अपत्ति नहीं है।

अतः तहसीलदार दुर्गूकोन्दल ने ग्राम हिलचुर पटवारी हल्का नंबर 05 तहसील दुर्गूकोन्दल की शासकीय भूमि खसरा नंबर 66, 109, 68 एवं 132 रकबा क्रमशः 34.380, 14.810, 5.200 एवं 1.43 हेक्टेयर कुल रकबा 55.82 हेक्टेयर में से रकबा क्रमश 12.15, 2.00, 2.41, 1.43 हेक्टेयर कुल रकबा 17.99 हेक्टेयर भूमि को आवेदक वन मण्डलाधिकारी पूर्व भानुप्रतापपुर वनमण्डल भानुप्रतापपुर जिला उत्तर बस्तर कांकेर को वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग को हस्तांतरण किया जाना प्रस्तावित करते हुए प्रकरण अनुशंसा सहित अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) भानुप्रतापपुर के माध्यम से प्रस्तुत किया है। अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) भानुप्रतापपुर ने तहसीलदार, दुर्गूकोन्दल से प्राप्त प्रतिवेदन से सहमत होते हुए ग्राम हिलचुर पटवारी हल्का नंबर 05 तहसील दुर्गूकोन्दल की शासकीय चरागन मद की भूमि खसरा नंबर 66, 109, 68 एवं 132 रकबा क्रमशः 34.380, 14.810, 5.200 एवं 1.43 हेक्टेयर कुल रकबा 55.82 हेक्टेयर में से रकबा क्रमश 12.15, 2.00, 2.41, 1.43 हेक्टेयर कुल रकबा 17.99 हेक्टेयर भूमि को आवेदक वनमण्डलाधिकारी पूर्व भानुप्रतापपुर वनमण्डल भानुप्रतापपुर जिला उत्तर बस्तर कांकेर को वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु हस्तांतरण किया जाना उचित प्रतीत होता है प्रतिवेदित करते हुए प्रकरण प्रस्तुत किया है।

3 प्रकरण में ग्राम हिलचुर पटवारी हल्का नंबर 05 तहसील दुर्गूकोन्दल में स्थित शासकीय भूमि खसरा नंबर 66 रकबा 34.38 हेक्टेयर में से 12.15 हेक्टेयर, खसरा नंबर 109 रकबा 14.81 हेक्टेयर में से 2.00 हेक्टेयर, खसरा नंबर 68 रकबा 5.20 हेक्टेयर में से 2.41 हेक्टेयर एवं खसरा नंबर 132 रकबा 1.40 हेक्टेयर कुल रकबा 17.99 हेक्टेयर भूमि अभिलेख में चरागन मद में दर्ज होने के कारण आदेश दिनांक 06.03.2024 के अनुसार छत्तीसगढ़ भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 237 (3) में निहित प्रावधान के तहत् निस्तार प्रयोजन से पृथक करते हुए वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु सुरक्षित किया गया है, जिसके अनुसार तहसीलदार दुर्गूकोन्दल के द्वारा खसरा दुरूस्त कर खसरा की प्रति प्रस्तुत किया गया है।

अतएव प्रकरण में छत्तीसगढ़ राजस्व पुस्तक परिपत्र के अन्तर्गत छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा

न्यायालय कलेक्टर उत्तर बस्तर कांकेर (छ.ग.)

..3..

रायपुर अटल नगर, के आदेश क्रमांक क्र. एफ 4–135 / सात–1 / 2006 / रायपुर, दिनांक 10.08.2006 में प्रदत्त अधिकारों के तहत् तहसीलदार दुर्गूकोन्दल एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) भानुप्रतापपुर के जांच प्रतिवेदन, प्रस्ताव के आधार ग्राम हिलचुर पटवारी हल्का नम्बर 05 तहसील दुर्गूकोन्दल में स्थित शासकीय भूमि खसरा नंबर 66 रकबा 34.38 हेक्टेयर में से 12.15 हेक्टेयर, खसरा नंबर 109 रकबा 14.81 हेक्टेयर में से 2.00 हेक्टेयर, खसरा नंबर 68 रकबा 5.20 हेक्टेयर में से 2.41 हेक्टेयर एवं खसरा नंबर 132 रकबा 1.40 हेक्टेयर कुल रकबा 17.99 हेक्टेयर भूमि वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु छत्तीसगढ़ शासन वन विभाग को निम्नांकित शर्तों के अधीन हस्तांतरित किया जाता है :–

(1) विभाग द्वारा हस्तांतरित भूमि का उपयोग केवल वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु किया जावेगा।

(2) किसी भी समय विभाग को भूमि की आवश्यकता नहीं होने पर कलेक्टर को लिखित में सूचना विभाग द्वारा दिया जावेगा।

(3) हस्तांतरित भूमि के अलावा अन्य शासकीय भूमि पर कोई अतिक्रमण नहीं किया जावेगा।

(निलेशकुमार महादेव क्षीरसागर)
कलेक्टर
उत्तर बस्तर कांकेर

पृ. क्रमांक / 540 / कले. / रीडर / 2024 कांकेर, दिनांक 10 / 07 / 2024

प्रतिलिपि :–

(1) सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर ।

(2) सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर।

(3) आयुक्त बस्तर संभाग जगदलपुर की ओर सूचनार्थ।

(4) मुख्य वन संरक्षक कांकेर वृत्त कांकेर की ओर सूचनार्थ।

(5) वनमण्डलाधिकारी पूर्व भानुप्रतापपुर वनमण्डल भानुप्रतापपुर, की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।

(6) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) भानुप्रतापपुर की ओर सूचनार्थ ।

(7) तहसीलदार दुर्गूकोन्दल की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

कलेक्टर
उत्तर बस्तर कांकेर

मार्क

वन मण्डलाधिकारी
पूर्व भानुप्रतापपुर वन मण्डल
भानुप्रतापपुर

2966
24/7/24

न्यायालय कलेक्टर
उत्तर बस्तर कांकेर (छ.ग.)

D:/Str/Reader/Land Allotment.Doc

<u>न्यायालय, कलेक्टर उत्तर बस्तर कांकेर (छत्तीसगढ़)</u>

<u>आदेश</u>

न्यायालय के राजस्व प्रकरण क्रमांक 202401140100028 / अ–20(3) / 2023–24 में पारित आदेश दिनांक 10.07.2024 के अनुसार छत्तीसगढ़ राजस्व पुस्तक परिपत्र के अन्तर्गत छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर, के आदेश क्रमाक क्र. एफ 4–135 / सात–1 / 2006 / रायपुर, दिनांक 10.08.2006 में प्रदत्त अधिकारों के तहत् तहसीलदार दुर्गूकोन्दल एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) भानुप्रतापपुर के जांच प्रतिवेदन, प्रस्ताव के आधार ग्राम हिलचुर पटवारी हल्का नम्बर 05 तहसील दुर्गूकोन्दल में स्थित शासकीय भूमि खसरा नंबर 66 रकबा 34.38 हेक्टेयर में से 12.15 हेक्टेयर, खसरा नंबर 109 रकबा 14.81 हेक्टेयर में से 2.00 हेक्टेयर, खसरा नंबर 68 रकबा 5.20 हेक्टेयर में से 2.41 हेक्टेयर एवं खसरा नंबर 132 रकबा 1.40 हेक्टेयर कुल रकबा 17.99 हेक्टेयर भूमि वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु छत्तीसगढ़ शासन वन विभाग को शर्तों के अधीन हस्तांतरित किया गया है।

उक्त आदेश की कंडिका 03 में लिपिकीय त्रुटिवश खसरा नंबर 132 रकबा 1.43 हेक्टेयर के स्थान पर 1.40 हेक्टेयर एवं आदेश की अंतिम पैरा में भी खसरा नंबर 132 रकबा 1.43 हेक्टेयर के स्थान पर 1.40 हेक्टेयर अंकित हो गया है।

अतः उक्त आदेश दिनांक 10.07.2024 की कंडिका 03 में खसरा नंबर 132 रकबा 1.40 हेक्टेयर के स्थान पर 1.43 हेक्टेयर एवं आदेश की अंतिम पैरा में खसरा नंबर 132 रकबा 1.40 हेक्टेयर के स्थान पर 1.43 हेक्टेयर प्रतिस्थापित किया जाता है।

तहसीलदार दुर्गूकोन्दल तदनुसार अभिलेख दुरूस्त करें।

न्यायालय कलेक्टर उत्तर बस्तर कांकेर (छ.ग.)

(निलेशकुमार महादेव क्षीरसागर)
कलेक्टर
उत्तर बस्तर कांकेर

D:/Str/Reader/Land Allotment.Doc

पृ. क्रमांक / 592 / कले. / रीडर / 2024 कांकेर, दिनांक 30 / 07 / 2024

प्रतिलिपि :–

(1) सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर ।

(2) सचिय, छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर।

(3) आयुक्त बस्तर संभाग जगदलपुर की ओर सूचनार्थ।

(4) मुख्य वन संरक्षक कांकेर वृत्त कांकेर की ओर सूचनार्थ।

(5) वनमण्डलाधिकारी पूर्व भानुप्रतापपुर वनमण्डल भानुप्रतापपुर, की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।

(6) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) भानुप्रतापपुर की ओर सूचनार्थ ।

(7) तहसीलदार दुर्गूकोन्दल की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

न्यायालय कलेक्टर
छत्तीसगढ़ शासन
उत्तर बस्तर कांकेर (छ.ग.)

कलेक्टर
उत्तर बस्तर कांकेर

D:/Str/Reader/Land Allotment.Doc